

25247-48A
18/12/2020



Ph. No.: 0674-258 9935
Fax No.: 0674-258 9938
E-mail:
ccbbsr@rediffmail.com/
ccu-cexbbr@nic.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क जोन, भुवनेश्वर

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER,

GST, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS ZONE, BHUBANESHWAR

केंद्रीय राजस्व भवन (जीएसटी भवन), राजस्व विहार, भुवनेश्वर - 751007, ओडिशा

C.R. BUILDING (GST BHAWAN), RAJASWA VIHAR, BHUBANESHWAR-751007, ODISHA

सेवा में,
श्री रविंदर कुमार, पुत्र श्री बाबु राम,
डी-54, सेक्टर-6-L, वार्ड न. 54, नियर संस्कृत स्कूल,
हनुमान जंक्शन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान -335512,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना संबंधी ।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 29.09.2020 की आर.टी.आई आवेदन का संदर्भ लें, जो इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2020 को सतर्कता महानिदेशालय, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली के पत्र फा.सं.V-500/RTI/141/2020/10675 के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

2. उक्त आर.टी.आई. में मांगी गई सूचना एतद्वारा संलग्न है, कृपया उसकी पावती भेजें ।
3. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो सी.पी.आई.ओ. का उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आप श्री जी.के.पति, संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी), मुख्य आयुक्त कार्यालय, जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन, जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर -751007 को अपील कर सकते हैं ।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

तपन कुमार नायक
18/12/2020

(तपन कुमार नायक)

सहायक आयुक्त (मु.आ.का.)

प्रति: केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त(सतर्कता), सतर्कता महानिदेशालय, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली ,पत्र फा.सं.V-500/RTI/141/2020/10675 दिनांक 23.11.2020, के संदर्भ में

o/c



भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA

मुख्यआयुक्तकाकार्यालय, जीएसटी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ,एवंसीमाशुल्कजोन, भुवनेश्वर

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER,

GST, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS ZONE, BHUBANESHWAR

केंद्रीय राजस्व भवन (जीएसटी भवन), राजस्व विहार, भुवनेश्वर- 751007, ओड़िशा

C.R. BUILDING (GST BHAWAN), RAJASWA VIHAR, BHUBANESHWAR-751007, ODISHA

☎0674-2589935

☎0674-2589938

✉ccbbsr@rediffmail.com

C.No. II(8)1/CC/Admn/BBSR/2020/

Date:10.12.2020

24/6/20

सेवा में,

अधीक्षक (आरटीआई),

सीसीओ, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क,

भुवनेश्वर जोन।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में मांगी गई सूचना के संबंध में-
रवीन्द्र कुमार का मामला।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने पत्र संख्या २३९६६-ए दिनांक ०४.१२.२०२० को देखें।
इस सम्बन्ध में, आरटीआई आवेदन का बिंदु नं। ११ (गुप-ए के अधिकारियों के अतिरिक्त) के संबंध
में जानकारी नीचे दिया गया है:

बिंदु संख्या ११ - 01.07.2017 से 30.08.2020 तक की अवधि के दौरान रिश्वत के आरोप में
जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर क्षेत्र के किसी भी अधिकारी (गुप-ए के
अधिकारी के अतिरिक्त) को पकड़ा नहीं गया है।

भवदीय,

24/6/20 21/3/20
10-12-2020

(आर.के. राऊल)

अधीक्षक(प्रशासन / सतर्कता)

3778
15.12.2020